न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–74/2020 (2020/00331) **दर्ज दिनांक 24.07.2020**

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चांदी पुत्री लहरू सालवी
2. डालचन्द आत्मज लहरू सालवी
3. प्यारचन्द आत्मज लहरू सालवी
4. प्रेम पुत्री शोभालाल सालवी
5. भैरू आत्मज नानु सालवी
6. भवाना आत्मज नानु सालवी
7. मगनीराम आत्मज लहरू सालवी
8. शंकर आत्मज नानु सालवी
9. सोहनी पत्नि शोभालाल सालवी

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। ––प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल आत्मज श्रीराम जाट
2. बद्रीलाल आत्मज बरदु जाट
3. माधु आत्मज भुरा बैरवा

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री भोलाराम माली

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय **दिनांकः–26.02.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 646 रकबा 0.30 हे0, 647 रकबा 0.31 हे0, 673 रकबा 0.18 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.79 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 298 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इच्छा की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128

प्रकरण संख्या :–74 / 2020 (2020 / 00331)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 646 रकबा 0.30 हे0, 647 रकबा 0.31 हे0, 673 रकबा 0.18 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.79 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 298 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested